समक्ष :– म.प्र. राजस्व मण्डल ग्वांलियर कैम्प, जबलपुर, ~~[illegible]~~

निगरानी 1125-I-15

नि.या.क्र. – अ-6/2014-15

1. ~~समित~~ सनीश उर्फ धवल जैन आत्मज स्व. सुबोध जैन, उम्र लग. 25 वर्ष
2. श्रीमती साधना जैन बेवा सुबोध जैन, उम्र लग. 45 वर्ष,

दोनो साकिन-सुभाष चौक, सुबोध बर्तन भंडार कटनी,
तह. व जिला-कटनी म.प्र. .... **निगरानी याचिकाकर्तागण**

बनाम

प्रकाशचंद जैन आत्मज स्व. धरमचंद जैन, उम्र लग. 62 वर्ष,
साकिन-सिविल लाईन कटनी, जिला-कटनी म.प्र. ..... **उत्तरार्थी**

496

उ.

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 1125–एक/15 जिला – कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1-7-15	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया । आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व से प्रतिपरीक्षण का अवसर समाप्त होने के कारण आपत्तिकर्ता द्वारा परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण हेतु प्रस्तुत आवेदन निरस्त करते हुए प्रकरण तर्क हेतु नियत किया है । उनके इस आदेश में कोई त्रुटि नहीं है । इसके उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष उपस्थित हो रहे हैं और दिनांक 20.3.15 को तर्क हेतु अंतिम अवसर दिया जाकर दिनांक 31.3.15 नियत की गई है । दिनांक 31.3.15 के उपरांत प्रकरण में क्या कार्यवाही हुई इस संबंध में आवेदक अधिवक्ता स्थिति स्पष्ट नहीं कर सके । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । सदस्य	